

दिल्ली विधान सभा  
समाचार भाग-2

॥ विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी ॥  
मंगलवार, 17 सितम्बर, 1996 / भाद्रपद 26, 1918 ॥शक॥

संख्या : 285

सदस्य को नज़रबंदी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को सम्बोधित पुलिस उपायुक्त,  
नई दिल्ली जिला, नई दिल्ली से दिनांक : 13.9.96 को निम्नलिखित सूचना  
दिनांक : 16.9.96 को प्राप्त हुई :-

"मुझे आपको ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली राष्ट्रीय  
राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधान सभा के माननीय  
सदस्य श्री राम निवास गोयल, को उनके अन्य समर्थकों सहित  
आज अर्थात् दिनांक : 12.9.96 को अपराह्न 1.25 बजे  
पुलिस थाना, संसद मार्ग, नई दिल्ली से पुलिस के विधिसम्मत  
निर्देशों को अवज्ञा करने के कारण पुलिस अधिनियम, 1978  
की धारा 65 के अन्तर्गत नज़रबंद किया गया।

उन्हें उसी दिन अर्थात् दिनांक 12.9.96 को अपराह्न 1.30 बजे  
पुलिस थाना, संसद मार्ग, नई दिल्ली से रिहा कर दिया गया।"

पी.एन. गुप्ता  
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

BULLETIN PART-II

(General information relating to Legislative & other matters)

Tuesday, September 17, 1996/Bhadrapud 26, 1918 (Saka)

No. 285

DETENTION AND RELEASE OF A MEMBER

The following message dated 13.9.96 addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Legislative Assembly was received from the Deputy Commissioner of Police, New Delhi District, New Delhi on 16.9.96 :-

"I have the honour to inform you that Shri Ram Niwas Goyal, Hon'ble Member of Legislative Assembly, Delhi alongwith his other supporters was detained under section 65 of Delhi Police Act, 1978 for disobeying the lawful directions of Police from Parliament Street, in front of Police Station Parliament Street, New Delhi at 1325 hours on 12.9.96.

He was released at 1330 hours from Police Station Parliament Street, New Delhi, the same day i.e. 12.9.96."

T.N. GUPTA  
SECRETARY